बैठक नोटिस

जयपुर नगर निगम के मेयर का निर्वाचन
श्रेणी सामान्य

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 एवं राजस्थान नगर पालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 80 के अन्तर्गत जयपुर नगर निगम के मेयर के निर्वाचन के लिए मैं अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय) जयपुर, निर्वाचन अधिकारी एतत्द्वारा सूचित करता हूं कि:–

1. उक्त पद के चुनाव के लिए निर्वाचित सदस्यों की बैठक सभासद भवन, नगर निगम जयपुर के कार्यालय में दिनांक 14.12.2016 की पूवान्ह 10.00 बजे होगी।
2. नाम निर्देशन पत्र उम्मीदवार या उसके प्रस्ताव द्वारा निर्वाचन अधिकारी को उक्त जयपुर नगर निगम के कार्यालय में दिनांक 14.12.20116 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से 11.00 बजे के बीच परिदत्त किए जा सकेंगे।
3. नाम निर्देशन पत्र उक्त स्थान से प्राप्त किकए जा सकेंगे।
4. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त स्थान पर उक्त दिनांक को 1.30 बजे पूवान्ह की जावेगी।
5. उम्मीदवार वापस लेने की सूचना उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से रिटर्निंग अधिकारी को उक्त स्थान पर व उक्त दिनांक को अपरान्ह 02.00 बजे से पूर्व परिदत्त की जा सकेगी।
6. निर्वाचन लडे जाने की दशा में मतदान उक्त दिनांक को उक्त स्थान पर मध्यान्ह 02.30 बजे से मध्यान्ह 05.00 बजे के मध्य होगा तथा
7. मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात उक्त स्थान पर मतगणना होगी।

स्थान – कार्यालय नगर निगम, मुख्यालय जयपुर

तारीख – 13.12.2016

रिटर्निंग अधिकारी
जयपुर नगर निगम चुनाव, 2016
एवं अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर